न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ ( )वाचक / Case No.36/2022/ 556-58 दिनांक 1|8|2

आदेश

थानाधिकारी, पुलिस थाना दानपुर द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 150/2022 दिनांक 30.07.2022 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995 की धारा 3,5,6,8,9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995 एवं धारा 6(ए) राज. गौ वंश संशोधन अधिनियम, धारा 11(3)(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 में दर्ज कर बताया कि दिनांक 30.07.2022 को पिकअप नम्बर एम पी 14 जी सी 1546 में 9 गौवंश (बैल) जिन्हे वाहन में भरकर ले जाते हुए पाये जाने पर उक्त 9 बैल (गौवंश) को जब्त कर अपने कब्जे में लेकर वास्ते सुरक्षा एवं चराई के लिए एवं प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक बॉसवाडा जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा (पंजीयन क्रमांक 10/63-64 एवं 115/94) को सुपुर्द करने प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतः राजस्थान, गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत् जप्तशुदा 9 बैल (गौवंश) को सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने तक प्रबन्धक, बॉसवाडा जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा (पंजीयन क्रमांक 10/63-64 एवं 115/94) को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त जप्त शुदा 9 बैल (गौवंश) की चराई, सुरक्षा एवं देखभाल की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक, जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा की होगी। जब्तशुदा गोवंश की वीडियोग्राफी भी सुपुर्दगी के समय करवायी जावे। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त पशुओं को तलब करने पर न्यायालय में पेश करने के लिए प्रबन्धक, जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा बाध्य होगा।

1/8
(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :-

1. सयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग, बॉसवाडा
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना दानपुर
3. प्रबन्धक, बॉसवाडा जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा

1/8
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा